भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 503
दिनांक 03 फरवरी, 2026 के लिए प्रश्न

महाराष्ट्र में डेयरी विकास

503. प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में सतत डेयरी विकास को बढ़ावा देने तथा मवेशी नस्ल सुधार और गुणवत्तापूर्ण भोजन और चारे की उपलब्धता के माध्यम से छोटे और सीमांत डेयरी किसानों की सहायता करने के लिए विशिष्ट उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान दूध प्रसंस्करण इकाइयों, प्रशीतन केंद्र, गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं और मूल्य वर्धित डेयरी बुनियादी ढांचे की स्थापना और उन्नयन के लिए महाराष्ट्र को उपलब्ध कराई गई योजनाओं और वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य में दुग्ध सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों की क्षमता निर्माण, पशु स्वास्थ्य बीमा और विस्तार सेवाओं के माध्यम से दुग्ध उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार के पास बाजार संपर्कों को मजबूत करने, उचित और लाभकारी मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करने और महाराष्ट्र से डेयरी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोई व्यापक नीतिगत ढांचा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दुग्ध उत्पादन, किसानों की आय और रोजगार सृजन के लिए सरकार को प्राप्त हुए परिणामों का ब्यौरा और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए अपनाया गया निगरानी और मूल्यांकन तंत्र क्या है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (घ) भारत सरकार(GoI) का पशुपालन और डेयरी विभाग (DAHD) महाराष्ट्र सहित पूरे देश में सतत डेयरी विकास को बढ़ावा देने और छोटे एवं सीमांत डेयरी किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को संपूरित करने के लिए निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है:

1. **राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM):** RGM को देशी नस्लों के विकास और संरक्षण, बोवाइन आबादी के आनुवंशिक उन्नयन और बोवाइनों के दूध उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि के लिए कार्यान्वित किया जाता है।
2. **राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD):** एनपीडीडी को निम्नलिखित 2 घटकों के साथ कार्यान्वित किया जाता है:
   (i) एनपीडीडी का **घटक** ''**क**'' राज्य सहकारी डेयरी परिसंघों/ जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ/ स्वयं सहायता समूहों (**SHG**)/ दूध उत्पादक कंपनियों/ किसान उत्पादक संगठनों के लिए गुणवत्तापूर्ण दुग्ध परीक्षण उपकरण और उसके साथ प्राथमिक शीतलन सुविधाओं के लिए अवसंरचना के निर्माण/सुदृढ़ीकरण पर केंद्रित है।

(ii) एनपीडीडी योजना का **घटक ''ख''** "सहकारी समितियों के माध्यम से डेयरी" का उद्देश्य किसानों की संगठित बाजार तक पहुंच बढ़ाकर, दूध प्रसंस्करण सुविधाओं और विपणन अवसंरचना को उन्नत करके तथा उत्पादक स्वामित्व वाली संस्थाओं की क्षमता बढ़ाकर दूध और दूध उत्पादों की बिक्री बढ़ाना है।

3. **डेयरी कार्यकलापों में लगी डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों (SDCFPO) को सहायता:** गंभीर प्रतिकूल बाजार परिस्थितियों या प्राकृतिक आपदाओं के कारण उत्पन्न संकट से उबरने के लिए सुलभ कार्यशील पूंजीगत ऋण के संबंध में ब्याज सबवेंशन (नियमित 2% और शीघ्र भुगतान पर अतिरिक्त 2%) प्रदान करके राज्य डेयरी सहकारी परिसंघों की सहायता करना।
4. **पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF):** AHIDF पशुधन उत्पाद प्रसंस्करण और विविधीकरण अवसंरचना के निर्माण/सुदृढ़ीकरण के लिए 3% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सबवेंशन प्रदान करता है, जिससे असंगठित उत्पादक सदस्यों को संगठित बाजार तक अधिक पहुंच प्राप्त होती है।
5. **राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM):** पोल्ट्री, भेड़, बकरी, सूअर पालन और चारा क्षेत्रों में उद्यमिता विकास और नस्ल सुधार पर विशेष ध्यान केंद्रित करना। इसमें उद्यमिता विकास के लिए व्यक्तियों, किसान उत्पादक संगठनों (FPO), स्वयं सहायता समूहों (SHG), धारा 8 कंपनियों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है और राज्य सरकार को नस्ल सुधार अवसंरचना के लिए सहायता प्रदान की जाती है।
6. **पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDC):** पशु रोगों के लिए रोगनिरोधी टीकाकरण, पशु चिकित्सा सेवाओं की क्षमता का निर्माण, रोग निगरानी और पशु चिकित्सा अवसंरचना को सुदृढ़ करना। साथ ही, इस योजना के अंतर्गत पशु औषधि का एक नया घटक जोड़ा गया है, जिसका उद्देश्य प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों (PM-KSK) और सहकारी समितियों के माध्यम से देश भर में सस्ती जेनेरिक पशु चिकित्सा दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इससे सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाओं के लिए एक अनुकूल वातावरण बनेगा।

ये योजनाएँ बोवाइनों की दूध उत्पादकता बढ़ाने, डेयरी सहकारी समितियों के नेटवर्क का विस्तार करने, निर्यात - गुणवत्ता वाले उत्पादों के लिए डेयरी अवसंरचना को सुदृढ़ करने, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता, पशु आहार और चारे की उपलब्धता बढ़ाने तथा पशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में सहायता कर रही हैं। इन उपायों से दूध उत्पादन की लागत कम होती है और डेयरी फार्मिंग से दूध उत्पादकों की आय में वृद्धि होती है।

NPDD और AHIDF के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान दूध प्रसंस्करण इकाइयों, शीतलन केंद्रों, गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं और मूल्यवर्धित डेयरी अवसंरचना की स्थापना और उन्नयन के लिए महाराष्ट्र को प्रदान की गई वित्तीय सहायता **अनुबंध-I** में दी गई है।

DAHD, GoI, ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन, पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय पशुधन मिशन और राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम जैसी अपनी योजनाओं में जागरूकता सृजन को अभिन्न अंग बनाया है। इन योजनाओं के माध्यम से सरकार डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को प्रशिक्षण प्रदान करती है और क्षमता का निर्माण करती है, स्वच्छ दूध उत्पादन, आधुनिक डेयरी प्रबंधन, संतुलित पशु आहार और चारा पद्धतियों को बढ़ावा देती है तथा पशु स्वास्थ्य, बीमा और रोग निवारण पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करती है। विस्तार सेवाएं, स्वास्थ्य शिविर और मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां किसानों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करती हैं, जिनका उद्देश्य दूध उत्पादकता, गुणवत्ता और डेयरी क्षेत्र में आय के अवसरों में सुधार करना है।

(ङ)	DAHD, GoI, द्वारा योजनाओं के कार्यान्वयन से डेयरी क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। पिछले दशक में दूध उत्पादन में 69% की वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2014-15 में 146.31 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 248 मिलियन टन हो गया है, जबकि प्रति व्यक्ति उपलब्धता में 52% की वृद्धि हुई है, जो 319 ग्राम से बढ़कर 485 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति दिन हो गई है। कृत्रिम गर्भाधान (AI) कवरेज़ 20% से बढ़कर 40% हो गयी है और दूध प्रसंस्करण क्षमता दोगुनी से अधिक होकर 556 LLPD से 1175 LLPD (112% की वृद्धि) हो गई है। डेयरी सहकारी समितियां अब लगभग 2,00,000 गांवों को कवर कर रही हैं, जिनसे लगभग 1.72 करोड़ डेयरी किसान संबद्ध हैं, और इस प्रकार किसानों की आय को बढ़ाने और रोजगार सृजन में योगदान दे रही हैं। इन योजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन संरचित (Structured) तंत्रों के माध्यम से किया जाता है, जिसमें राज्य से नियमित रिपोर्टिंग, क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों के माध्यम से राज्य और केंद्र स्तर पर समीक्षा और प्रभावी कार्यान्वयन और मापने योग्य प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए आकलन शामिल हैं।

*****

अनुबंध-I

राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD) और पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF) के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का विवरण।

एनपीडीडी योजना:

वित्तीय वर्ष	**(लाख रुपये में)**		
	जारी निधि	**उपयोग की गई निधि**	**अव्ययित शेष**
2022-23	657.44	657.44	0.00
2023-24	692.15	44.89	647.26
2024-25	0.00	0.00	0.00

एएचआईडीएफ:

वित्तीय वर्ष	**परियोजनाएं**	**परियोजना लागत (करोड़ में)**	**सावधि ऋण (करोड़ में)**	**जारी आईएस (करोड़ में)**
2022-23	8	288.50	197.66	10.46
2023-24	4	48.46	39.10	1.96
2024-25	8	468.65	355.18	11.11

डीआईडीएफ: डीआईडीएफ का फरवरी 2024 से एएचआईडीएफ में विलय हो गया है।

वित्तीय वर्ष	**परियोजनाएं**	**परियोजना लागत (करोड़ में)**	**सावधि ऋण (करोड़ में)**	**संवितरित ऋण**
2022-23	पंचमहल जिला सहकारी दुग्ध संघ (नवी मुंबई)	169.25	135.40	22.62
2023-24				71.95
2024-25				21.53